



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email : pccf-cdnodal@gov.in

पत्रांक :-

दिनांक :-

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राँची रीजन, राँची।
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/चतरा।

विषय :-

चूरी-बेंती भूमिगत कोल परियोजना हेतु कुल 281.17 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल-65.84 हे० एवं राँची वन प्रमण्डल-215.33 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/23021/2016) के संबंध में।

प्रसंग :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन, राँची का पत्रांक 791 दिनांक 01.07.2025
2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 268 दिनांक 28.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा चूरी-बेंती भूमिगत कोल परियोजना हेतु कुल 281.17 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल-65.84 हे० एवं राँची वन प्रमण्डल-215.33 हे०) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (FP/JH/MIN/23021/2016) ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी में प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोरांत निम्नवत् बिन्दुओं पर कमियाँ पायी गयी हैं :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस परियोजना हेतु 281.17 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल-65.84 हे० एवं राँची वन प्रमण्डल-215.33 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव परिवेश-1 में समर्पित किया गया है। जबकि KML File में कुल रकवा 230.48 हे० प्रदर्शित हो रही है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Violation नहीं किये जाने का वचनबद्धता अप्राप्त है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण का Detailed Justification अप्राप्त है।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भूमिगत खनन एवं सतही प्रयोग के लिये Component wise breakup नहीं दर्शाया गया है। माईनिंग प्लान के अनुसार इसे दर्शाया जाना अपेक्षित है।
5. माईनिंग प्लान की प्रति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड नहीं की गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड किया गया है। प्रस्ताव के साथ Approved Mining Plan की प्रति समर्पित किया जाना अपेक्षित है।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3D Subsidence analysis report संलग्न नहीं की गयी है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चूरी बेंती परियोजना के लिये पहले से डायवर्ट किये गये भूमि की KML File अपलोड नहीं है।
8. दामोदर नदी के जल प्रवाह को Distrub एवं प्रदूषित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है। इसका प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित निराकरण प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:- यथोक्त।

आपका विश्वासी,



ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :- 829

दिनांक :- 21/10/25

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, राँची/चतरा/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रादेशिक वन प्रमण्डल राँची/चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल एवं मुख्य महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी0सी0एल0, दरभंगा हाउस, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/10/25
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

21-10

ज्ञापांक-2807 दिनांक- 04.11.2025

प्रतिलिपि :-
परिमोचना पदाधिकारी, पुरी - जिला मजिस्ट्रेट कोल (व्यक्तिगत)
परिमोचना के श्रमिक एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु (प्रतिपत्र)
अनुसूचित व कि उपरोक्त परिपत्र - डि-3 को व निदेशक
के डि-3 को निदेशक - परिपत्र - आर्यो एनएसए के अतिरिक्त
के (नमूना विना नाम निए उपरोक्त विपत्र) के अतिरिक्त
के व (के)


वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल

01/11/2025